



# Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University Kanpur

(FORMERLY KANPUR UNIVERSITY, KANPUR)

**Policy**

*on*

**Code of Conduct for  
Students**







**छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर**  
**CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR**  
(पूर्ववती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)  
(Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

217

3.5	Not smear colored powder and splash colored water in the guise of festivals and-functions on or during any other occasion in the hostel or University campus. छात्रावास या विश्वविद्यालय परिसर में या किसी अन्य अवसर के दौरान त्योहारों और समारोहों की आड़ में रंगीन पाउडर और रंग डालना निषेध है।
3.6	Scribble on the desks or the white board or inside the lift, toilets on the walls, windows, trees of the University and hostel is prohibited. विश्वविद्यालय और छात्रावास के डेस्क या व्हाइट बोर्ड या लिफ्ट के अंदर, दीवारों, खिड़कियों, पेड़ों और शौचालयों आदि पर छात्र/छात्राओं द्वारा पोस्टर लगाना/लिखना प्रतिबन्धित है।
3.7	Respecting the University property is mandatory. Destroying and/or damaging the property is punishable. The cost of any damage, so caused, will be recovered with penalty from the students. विश्वविद्यालय की संपत्ति का सम्मान करना अनिवार्य है। संपत्ति को नष्ट करना और/या नुकसान पहुंचाना दंडनीय है। इस तरह से हुई किसी भी क्षति की लागत, दंड के साथ छात्रों से वसूल की जाएगी।
3.8	It is unlawful & prohibited for any person to mutilate any tree, shrub or herbaceous plant and remove any identification sign or tag attached to it. किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी पेड़, पौधे को काटना और उससे जुड़े किसी भी पहचान चिह्न या टैग को हटाना अवैधानिक व प्रतिबन्धित है।
3.9	Without the permission of the Director/HoD/ Incharge: a. Not convene any kind of meeting in the campus or b. Collect any sort of fund or c. Circulate/display any kind of notice among students on white boards/notice boards d. It is prohibited to send the information or report to press or broadcasting agencies and placement companies without the permission and approval of the HoD/ incharge. निदेशक/विभागाध्यक्ष/ प्रभारी की अनुमति के बिना : a. परिसर में किसी भी प्रकार की बैठक आयोजित करना या b. किसी प्रकार की निधि एकत्र करना या c. व्हाइट बोर्ड/नोटिस बोर्ड पर किसी भी प्रकार की सूचना प्रसारित/प्रदर्शित करना d. इसके अतिरिक्त कोई भी सूचना या रिपोर्ट प्रेस या प्रसारण एजेंसियों और प्लेसमेंट कंपनियों को भेजना प्रतिबन्धित है।
3.10	a. Parking the vehicle in the allotted place is compulsory. b. It is also prohibited that no vehicle will be allowed to enter the University academic area. Students coming by two wheelers have to compulsorily wear helmets. Vehicles found parked in unauthorized places shall be impounded. The impounded vehicle, will be charged of fine as per UP Transport rules & regulations. a. वाहन को आवंटित स्थान पर पार्क करना अनिवार्य है। b. यह भी प्रतिबन्धित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक परिसर में किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दुपहिया वाहन से आने वाले छात्रों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अनाधिकृत स्थानों पर पार्क किए गए वाहनों को ज़ब्त किया जाएगा। जब्त किये जाने के बाद उ.प्र. परिवहन के नियमों के अंतर्गत अर्थदण्ड निर्धारित किया जाएगा।
3.11	Conduct himself/herself in such a way as to bring recognition to self and to the University while attending department functions. विश्वविद्यालय/विभाग के समारोहों में भाग लेते समय, स्वयं की एवं विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा/गौरव का ध्यान रखना आवश्यक है।
3.12	Shouting or demonstrating which might disturb the classes; is prohibited. विल्लाना या प्रदर्शन करना जो कक्षाओं को बाधित कर सकता है; प्रतिबन्धित है।

S. 202  
Apo  
Wajid  
Anil (2)  
Jain  
Shayam  
P. B. Patil  
as manager





# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

## CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)  
(Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

3.13	Driving of vehicles on lawns; crossing the boundary walls, fencing; damaging the gardens, flowers etc. spoiling the landscape of the campus is prohibited and punishable; लॉन में वाहन चलाना; चारदीवारी को पार करना, बाड़ लगाना; बगीचों, फूलों आदि को नुकसान पहुंचाना परिसर के परिदृश्य को खराब करना निषेधित एवं दण्डनीय है।
3.14	Refusing or ignoring the Hon'ble Vice Chancellor, Registrar, Director, Heads of Department, University Proctorial Board's and University Officers' summons of any kind; माननीय कुलपति, कुलसचिव, निदेशक, विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रोक्टोरियल बोर्ड और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के किसी भी प्रकार के सम्मन को अस्वीकार या अनदेखा करना;
3.15	Disclosing one's identity when asked to do so by a faculty member or an employee of the Institute who is authorized to ask for such identity is compulsory. संस्थान के किसी संकाय सदस्य या कर्मचारी द्वारा पूछे जाने पर स्वयं की पहचान का खुलासा करना अनिवार्य है।
3.16	It is expected and compulsory to do the proper behavior while on educational tour or excursion. शैक्षिक दौरे या भ्रमण के दौरान उचित सामाजिक व्यवहार करना अपेक्षित है तथा इन विनियमों का पालन करना अनिवार्य है।
3.17	It is compulsory to follow the security and safety rules notified by the University. विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित सुरक्षा और सुरक्षा नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
3.18	Any other offence violating norms established by any other policy/policies of the University is prohibited. विश्वविद्यालय की किसी अन्य नीति/नीतियों द्वारा स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करने वाला कोई अन्य कृत्य/कार्य करना प्रतिबन्धित है।

**4. Action process taken by the University/Department/Authority:**

A. As mentioned above in rule no. 3, indiscipline found should first be investigated by the concerned Department disciplinary committee.

B. Detailed investigation report along with suggestions and recommendations for action should be submitted to the proctorial board.

C. mentioned above in rule no. 3, a warning letter will be given for the first time for violation of the above points prescribed by the university administration.

D. If it is violated again for the second time, in such a situation a suspension of 15 days and a final warning letter will be issued and;

E. If the involvement is found again for the third time, then the rustication will be done after the permission from the competent authorities (By the VC or the person nominated by the VC).

F. There will be prohibition on admission to any course in the campus, no provision of refund of fees and all facilities of the university will be prohibited.

**4. विश्वविद्यालय/विभाग/प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया:**

A. उपरोक्त नियम 3 में वर्णित, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पाये जाने पर संबंधित विभाग की अनुशासन समिति द्वारा जांच-पड़ताल की जायेगी।

B. अनुशासन समिति की विस्तृत जांच रिपोर्ट कार्यवाही हेतु सुझावों और अनुशंसा के साथ कुलानुशासक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।

C. नियम 3 में वर्णित नियमों/विनियमों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर पहली बार चेतावनी पत्र दिया जायेगा

D. दूसरी बार उल्लंघन का दोषी पाये जाने की स्थिति में 15 दिन का निलंबन एवं अंतिम चेतावनी पत्र निर्गत किया जायेगा और

E. तीसरी बार पुनः सलिप्तता पाये जाने पर सक्षम अधिकारियों (कुलपति या कुलपति द्वारा अधिकृत) की अनुमति से निष्कासन किया जायेगा।

F. यह भी प्रतिबन्धित किया जाता है कि निष्कासन के उपरान्त परिसर में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, शुल्क वापसी का कोई प्रावधान नहीं होगा एवं विश्वविद्यालय की समस्त सुविधाओं से निषेध किया जायेगा।

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including 'Juni', 'P. B. P.', and others.





**छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर**  
**CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR**  
(पूर्ववती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)  
(Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

24

<b>Chapter – 2</b>	
<b>DISCIPLINARY RULES &amp; REGULATIONS (Serious Indisciplinary Instructions)</b>	
5. The following acts come under serious punishable disciplinary acts:	
<b>अध्याय-2</b>	
<b>अनुशासन नियम और विनियम (दंडनीय अनुशासनात्मक निर्देश)</b>	
5. निम्नलिखित कार्य गंभीर दंडनीय अनुशासनात्मक कृत्यों के अंतर्गत आते हैं:	
S.1	Defying the rules and regulations of the University. Defying or ignoring the notices of the Hon'ble Vice Chancellor, University Proctorial Board or other authorities of the University. Destroying the notices of such authorities placed on prescribed notice boards etc. a. विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों की अवहेलना करना। b. माननीय कुलपति, विश्वविद्यालय प्रोक्टोरियल बोर्ड या विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के नोटिस की अवहेलना या अनदेखी करना। c. निर्धारित नोटिस बोर्ड आदि पर लगाए गए ऐसे प्राधिकारियों की सूचनाओं को नष्ट करना।
S.2	Violence, vandalism, acting in rage, man-handling, beating or threatening the teachers, officers, employees, guests or fellow students of the University. विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, मेहमानों या साथी छात्रों को हिंसा, तोड़फोड़, गुस्से में काम करना, हाथापाई करना, पीटना या धमकाना।
S.3	Keeping or carrying illicit arms/ammunitions or explosive material, contraband drugs and objectionable literature in the Campus. Indulging in acts of gambling in the campus. परिसर में अवैध हथियार/गोला-बारूद या विस्फोटक सामग्री, प्रतिबंधित ड्रग्स और आपत्तिजनक साहित्य रखना या ले जाना। परिसर में जुए के कृत्यों में लिप्त होना
S.4	Committing forgery, tampering with the Identity Card or University records, impersonation, misusing University property (movable or immovable), documents and records, making false or forged signature of University's officers, teachers etc. जालसाजी करना, पहचान पत्र या विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के साथ फ़ेड़छाड़, प्रतिरूपण, विश्वविद्यालय की संपत्ति (चल या अचल), दस्तावेजों और अभिलेखों का दुरुपयोग करना, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों आदि के झूठे या जाली हस्ताक्षर करना।
S.5	Furnishing false certificate or false information in any manner to the University. Giving false statement or producing false or tampered certificate etc. विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार से गलत प्रमाण पत्र या झूठी सूचना देना। झूठा बयान देना या जाली प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना।
S.6	Stealing University's property, books etc. from the Library, equipments from departments. Destroying the library books by tearing off the pages, despoiling the items from gardens, stores or vendors in the University Campus or any type of stealing. विश्वविद्यालय की संपत्ति, विभागों से उपकरण, पुस्तकालय से पुस्तकें आदि की चोरी करना, पत्रे फाड़कर पुस्तकालय की पुस्तकों को नष्ट करना, विश्वविद्यालय परिसर में बगीचों, दुकानों या वेंडरों से वस्तुओं को नष्ट करना या किसी भी प्रकार की चोरी करना।

PRB/Pal









छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर  
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR  
(पूर्ववती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)  
(Formerly Known as Kanpur University, Kanpur-208024)

5.17	Misusing the University stationery, letter pads or any officers name, seal or stamp; विश्वविद्यालय की स्टेशनरी, लेटर पैड या किसी अधिकारी के नाम, मुहर या मोहर का दुरुपयोग करना;
5.18	Misusing University resources and facilities such as library, software, computers and internet or causing any type of damage to intranet and computer security system of the University. विश्वविद्यालय के संसाधनों और सुविधाओं जैसे पुस्तकालय, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और इंटरनेट का दुरुपयोग करना या विश्वविद्यालय के इंटरनेट और कंप्यूटर सुरक्षा प्रणाली को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना।
5.19	Harming reputation of the institute or individual (fellow students and institute staff) through social and electronic media. सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संस्थान या व्यक्ति (साथी छात्रों और संस्थान के कर्मचारियों) की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना।
<b>6. Action process taken by the University/Department/Authority:</b>	
A. As per mentioned above in rule no. 5, any indiscipline found should first be investigated by the concerned Department disciplinary committee.	
B. Detailed investigation report along with suggestions and recommendations for action should be submitted to the proctorial board.	
C. As per mentioned above in rule no. 5, involvement in any incident or name coming in the premises will result in suspension with immediate effect.	
D. After investigation, if found guilty, the admission of the student concerned will be canceled and the process of expulsion from the university will be done with the permission from the competent authorities (By the VC or the person nominated by the VC).	
E. There will be prohibition on admission to any course in the campus, no provision of refund of fees and all facilities of the university will be prohibited.	
<b>6. विश्वविद्यालय/विभाग/प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया:</b>	
A. नियम 5 के उल्लंघन के अनुसार, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पाये जाने पर संबंधित विभाग की अनुशासन समिति द्वारा जांच-पड़ताल की जायेगी।	
B. अनुशासन समिति को विस्तृत जांच रिपोर्ट कार्यवाही हेतु सुझावों और अनुशंसा के साथ कुलानुशासक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।	
C. विश्वविद्यालय परिसर में नियम 5 के उल्लंघन के अनुसार में किसी भी घटना में सम्मिलित होने या नाम आने पर तत्काल प्रभाव से संबंधित छात्र/छात्रा को निलंबन किया जायेगा।	
D. जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर सम्बंधित छात्र/छात्रा का सक्षम अधिकारीयों (कुलपति या कुलपति द्वारा अधिकृत) की अनुमति प्रवेश निरस्त करते हुये विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।	
E. निष्कासन के उपरांत परिसर में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश निषेध, शुल्क वापसी का कोई प्रावधान नहीं एवं विश्वविद्यालय की समस्त सुविधाओं से निषेध किया जायेगा।	

221  
6\*

Sunder K. M.  
07/07/21  
(Proctor)

07/7/21

Registrar

ABU/20

REGISTRAR

Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University,  
Kanpur